<u>न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)</u>

अपील संख्या 183 / 2015 दायरा दिनांक : 11.08.2015

उनवान

1— कययूम पुत्र कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

2— साजिद पुत्र कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

3— कदीर पुत्र कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

4— अन्जुम पुत्री कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

5— सलमा पुत्री कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

6— साहिदा पुत्री कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

7— साहिबा पुत्री कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

8– राबिया बेवा कल्लन उम्र साल, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– फारूख अहमद पुत्र बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

2– फयाज अहमद पुत्र बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

3– खुरशीद पुत्री बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

4– सबीना पुत्री बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

5– सहीन पुत्री बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

6– परवीन पुत्री बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

7– रिजवाना पुत्री बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

8– खैरूनिशा बेवा बाबू खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मुकाम नयापुरा सुकेत, जिला कोटा

9– वहीद खां पुत्र रमजान खां, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, हाल मु0 कौशर कालोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

10– मरियम बेवा महमूद खां, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज मृतक कायम मुकामान –

10/1– शकीला पुत्री महमूद खां, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, जिला बारां

10/2– मुन्नी बेगम पुत्री महमूद खां, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, जिला बारां

10/3– शमीम बेगम पुत्री महमूद खां, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, जिला बारां

11– रफीक पुत्र छुट्टन खां, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, जिला बारां

12– रसीद पुत्र छुट्टन खां, जाति मुसलमान, निवासी किशनगंज, जिला बारां मृतक कायम मुकामान –

12/1– जरीना पत्नी रशीद, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां

12/2– परवीन पुत्री रशीद पत्नी इंसाफ, जाति मुसलमान, निवासी गुना

12/3– सायरा पुत्री रशीद पत्नी जहीर, जाति मुसलमान, विासी करवरीकलां

12/4– बेबी पुत्री रसीद पत्नी रहीम, जाति मुसलमान, निवासी सीसवाली

12/5– आजाद पुत्र रसीद ना0 बा0 जर्ये माता जरीना, निवासी करवरीकलां

12/6– साकिर पुत्र रसीद ना0 बा0 जर्ये माता जरीना, निवासी करवरीकलां

12/7– जाकिर पुत्र रसीद ना0 बा0 जर्ये माता जरीना, निवासी करवरीकलां

13– शकूर पुत्र रमजान खांन, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, तहसील किशनगंज, जिला बारां

14– मुश्ताक पुत्र शफी, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, तहसील किशनगंज, जिला बारां

15– रूस्तम पुत्र शफी, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, तहसील किशनगंज, जिला बारां

16– सरीफन बेवा शफी, जाति मुसलमान, निवासी करवरीकलां, तहसील किशनगंज, जिला बारां

17– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बालमुकुन्द गुर्जर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 41/2008 निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 02.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम करवरीकलां, पटवार हल्का करवरीकलां, तहसील किशनगंज में कृषि भूमि खाता संख्या नया 224 पुराना 183 स्थित है जिसके खसरा नम्बर 28 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 401 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्ब्र 402 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 6 किता 25 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है । ग्राम चण्डालिया

के खाता संख्या नया 74 पुराना 73 की खसरा नम्बर 53 रकबा 33 बीघा आराजी स्थित है । ये आराजियात रमजान खान पुत्र घासी खान के खाते में दर्ज थी । खातेदारान रमजान खांन की मृत्यु के बाद दोनों गांवों की आराजी उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई । रमजान खान के 7 पुत्र थे । ग्राम कंवरीकलां की आराजी भी 7 पुत्रों के नाम दर्ज हुई । ग्राम चण्डालिया की 33 बीघा आराजी 5 पुत्रों के नाम दर्ज हुई । बाबू खां और शफी खां का नाम सहवन से रह गया । पक्षकारों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया और बंटवारे के अनुसार भिन्न–भिन्न हिस्से पर काश्त कर रहे हैं । शफी खां और बाबू खां का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिसान अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है । वादी की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 33 बीघा में से 8 बीघा 5 बिस्वा पर अपने पिता के जीवनकाल से कब्जे काश्त में है और खातेदार दर्ज होने का अधिकारी है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 53 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा पर शफी के वारिसान खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर ग्राम चण्डालिया की खसरा नम्बर 53 की 33 बीघा में वादी और उसके भाई, बहन और मॉ का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाये और शफी खां के वारिसों का नाम भी बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाये और पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति के अनुसार जो पूर्व में बंटवारा हुआ था उसके अनुसार बंटवारा किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.01.2015 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारमिभक डिक्री जारी की है और दिनांक 02.07.2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । अपील विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अंतिम डिक्री जो अधीनस्थ न्यायालय में जारी की गई है उसमें कब्जे के अनुसार हिस्से तय नहीं किये गये हैं और इसमें सकूर पुत्र रमजान खां का भी हिस्सा निहित किया गया है जो पाकिस्तान चले गये हैं । पारिवारिक

बंटवारे का ध्यान नहीं रखा गया है । पक्षकारों के मध्य लडाई झगडे की स्थिति पैदा हो गयी है । प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार पुनः अंतिम डिक्री बनायी जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण में से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार नहीं बनायी गयी हैं । मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । राजस्व मण्डल के नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है इसलिए अंतिम डिक्री के परिपेक्ष्य में ही पत्रावली का अवलोकन किया जा रहा है । पत्रावली में तहसील से जो बंटवारा प्रस्ताव आया है उनका अवलोकन किया गया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का और आई एल आर के द्वारा बनाये गये हैं जिसमें यद्यपि तहसीलदार के भी हस्ताक्षर हैं । पत्र पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को प्रेषित किया गया है जिससे यही प्रतीत होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का ने बनाया है जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । बंटवारा प्रसताव पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है और सहखातेदारों के हिस्से को भिन्न भिन्न स्याही से नक्शे में

नहीं दर्शाया गया है । बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जिस कारण निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करें और बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा